संख्या-06/2025/138ई-2/तेरह-2025-480290

प्रेषक,

दुर्गा सिंह,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक 29 जनवरी, 2025

विषय- मेसर्स इण्डिया ग्लाइकाल्स लि., आसवनी गीडा, गोरखपुर की कुल अधिष्ठापित क्षमता 990 लाख ब.ली. वार्षिक के अंतर्गत पेय क्षमता 590 लाख लीटर वार्षिक से बढाकर 720 लाख लीटर वार्षिक किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-110/दो-प्रा.डी.-126/आई.जी.एल, दिनांक 30-12-2024 तथा प्रकरण में प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 23-01-2025 में लिए गए निर्णय सम्बन्धी कार्यवृत्त संख्या.-86ई-2/तेरह-2025-480290, दिनांक 29-01-2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 30-12-2024 द्वारा उपलब्ध कराये गये संस्तुति सहित प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं औद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत मेसर्स आई.जी.एल. आसवनी, गीडा, गोरखपुर में पूर्व से स्वीकृत कुल अधिष्ठापित क्षमता 990 लाख ब.ली. वार्षिक के अन्तर्गत पेय क्षमता 590 लाख लीटर वार्षिक से बढ़ाकर 720 लाख लीटर वार्षिक निर्धारित किये जाने, जिसके अन्तर्गत 200 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता के शीरा प्लांट अर्थात 330 कार्य दिवस के आधार पर 660 लाख लीटर वार्षिक क्षमता के शीरा आधारित प्लांट की पेय क्षमता 594 लाख लीटर वार्षिक एवं औद्योगिक क्षमता 66 लाख लीटर वार्षिक तथा 100 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता के अनाज आधारित प्लांट अर्थात 330 कार्य दिवस के आधार पर 330 लाख लीटर वार्षिक क्षमता के अनाज आधारित प्लांट की पेय क्षमता 126 लाख लीटर वार्षिक एवं औद्योगिक क्षमता 204 लाख लीटर वार्षिक निर्धारित किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

1. आसवनी द्वारा उत्तर प्रदेश आबकारी (आसवनी की स्थापना) (तेरहवां संशोधन), नियमावली, 2019 में उल्लिखित शर्तों एवं नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. इकाई द्वारा अनाज से एथनाल, ई.एन.ए. उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग में लाये जाने वाले व अन्य पदार्थों की आपूर्ति को सुगम करने व अंतर्विभागीय सामंजस्य स्थापित करने एवं उत्पादनकर्ताओं की कठिनाईयों का संज्ञान लेकर उन्हें दूर किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 26-03-2021 के प्रस्तर-3(4) (छ) में उल्लिखित व्यवस्थानुसार मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अध्यक्षता में गठित स्टीयरिंग कमेटी द्वारा निर्णय लिया जायेगा। उक्तानुसार अनाज व अन्य पदों की आपूर्ति के परिप्रेक्ष्य में स्टीयरिंग कमेटी द्वारा यथास्थिति मानव उपयोग व पशु उपयोग हेतु वांछित अनाज व अन्य पदार्थों की प्रदेश की वार्षिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन प्रश्नगत इकाई को करना होगा।

3. आसवनी में ग्रेन प्लांट से निर्धारित पेय क्षमता एवं शीरा प्लांट से निर्धारित पेय क्षमता का पूर्व से निर्धारित मानक के अनुसार भराई की जायेगी।

4. इकाई द्वारा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण-पत्र तथा अन्य विभागों से सुसंगत अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत अनापत्ति/अनुज्ञा में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन किया जाएगा।

5. आबकारी आयुक्त द्वारा प्रकरण में अनुज्ञापन निर्गत किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इकाई के पास शीरा संचय की पर्याप्त क्षमता उपलब्ध है।

6. इकाई द्वारा उत्पादन करते समय भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7. इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (GMP) एवं भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. आबकारी आयुक्त द्वारा इस संदर्भ में लागू अन्य समस्त सुसंगत नियमों/नियमावलियों व शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दुर्गा सिंह)
उप सचिव।

संख्या-06/2025/138(1)ई-2/तेरह-2025-480290,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन ।
(2) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) प्रमुख सचिव, पशुधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(8) प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दुर्गा सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in